राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

जयपुर, दिनांक : सितम्बर 09, 2021

सं.एफ.2(97)वित्त/कर/2010-41:- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ. 2(97)वित्त/कर/2010-41 दिनांक 13.07.2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)
"अधिसूचना
जयपुर, दिनांक जुलाई 13, 2021

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(4)वित्त/कर/2020-134 दिनांक 20.02.2020 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 27) में यथा परिभाषित विनिर्माण सेक्टर के सूक्ष्म या लघु उद्यमों के पुनरूज्जीवन के प्रयोजन के लिए, ऐसे उद्यमों की स्थावर सम्पति के अंतरण की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा यदि,-

(i) ऐसे सूक्ष्म या लघु उद्यम का कब्जा, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 63) की धारा 29 या, यथास्थिति, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 54) की धारा 13 के अधीन रीको, आरएफसी, वित्तीय संस्थाओं या बैंकों द्वारा ले लिया गया हो और किसी नये प्रबंध को विक्रय किया गया हो; और

(ii) उद्यम के प्रवर्ग के संबंध में उद्यम रजिस्ट्रीकरण, उद्यम आधार, उद्यम ज्ञापन-2 (ईएम-2) या कोई अन्य सुसंगत साक्ष्य, ऐसी लिखत के रजिस्ट्रीकरण के समय प्रस्तुत किया गया हो:

परन्तु यह अधिसूचना उप-रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए या कलक्टर (स्टाम्प) या अन्य न्यायालयों के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित लिखतों पर भी लागू होगी किन्तु राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) के उपबंधों के अनुसार पूर्व में ही संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[सं.एफ.2(97)वित्त/कर/2010-41]
राज्यपाल के आदेश से,

ह0
(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4(ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
8. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
9. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव